संख्या–1279/ V-2–2014–105(आ0)/2013

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
हरिद्वार–रूड़की/देहरादून/टिहरी।

2– नियंत्रक प्राधिकारी/समस्त जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
उत्तराखण्ड।

3– सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
दूनघाटी/नैनीताल/गंगोत्री।

आवास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

विषय :– विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र में One time settlement स्वैच्छिक शमन योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1211/V/आ0–2–2014–105(आ0)/2013, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वैच्छिक शमन के प्रकरणों में मात्र काउंसिंल ऑफ आर्किटेक्ट में पंजीकृत वास्तुविदों के शपथ पत्र मान्य किये जाने एवं अग्रसैट बैक में छूट न दिये जाने के कारण निर्धारित समयावधि में प्रकरणों के निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

3– अतः उक्त के कम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1211/V/आ0–2–2014–105(आ0)/2013, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–5 एवं 12 में उल्लिखित पूर्व व्यवस्था के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

बिन्दु संख्या–5 में प्रतिस्थापित नवीन व्यवस्था

" शमन उपविधि के अनुसार शमन योग्य प्रकरणों में अग्र, पृष्ठ व पार्श्व सैटबैक अन्तर्गत 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट ऐसे भवनों में देय होगी, जहां उक्त छूट उपरान्त शमनीय भवनों में न्यूनतम 03 फीट का अग्र, पृष्ठ व पार्श्व सैटबैक उपलब्ध हो।"

बिन्दु संख्या–12 में प्रतिस्थापित नवीन व्यवस्था

" शमन के प्रकरणों में त्वरित निस्तारण हेतु प्राधिकरण के अभियन्त्रण स्टाफ द्वारा स्थल निरीक्षण कर शमनीय निर्माण की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, इस हेतु काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्ट में पंजीकृत वास्तुविद अथवा सम्बन्धित प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों में श्रेणी अनुसार पंजीकृत लाईसेन्सी ड्राफ्टमैन/इंजीनियर एवं सम्बन्धित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शमन मानचित्र में प्रदर्शित शमनीय निर्माण मौके के अनुरुप दर्शाये जाने सम्बन्धी संयुक्त रुप से शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा।

4– शासनादेश संख्या–1211/V/आ0–2–2014–105(आ0)/2013, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

5– उक्त शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– /V/आ0–2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/देहरादून।।
2– नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
4– सहयुक्त नियोजक, गढवाल/कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।

आज्ञा से,

(डा0 वी0 षणमुगम)
अपर सचिव।